प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला.चौकी ,एसीबी,इन्टेलिजेंस यूनिट अजमेर, थाना. सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष ... 2022..
प्र. ई. रि. स. ....38/22........ दिनांक 9/2/22
(अ)·अधिनियम. भ्र. नि. (संशोधित) अधिनियम 2018 धारायें. **7,7A भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018**

(ब) अधिनियम.. धारायें.......... ....
(स) अधिनियम ....धारायें..
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....**सहपठित धारा 120 बी भा0द0स0** ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या ...172......... समय........5:50 pm
(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक :– मंगलवार 18.05.2021 समय 03:50 ए.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 18.05.2021 समय. 2:00 ए.एम

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – लिखित

5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दिशा उत्तर करीब 60 किलोमीटर
(ब) पता – दरदुड चौराया परबतसर रोड रूपनगढ जिला अजमेर।
बीट सख्या ....जरायमदेही सं..............
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना...जिला............................

6. परिवादिया / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम श्री दल्लाराम
(ब) पति का नाम.... श्री देवीलाल
(स) जन्म तिथि / वर्ष ..... 34 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता......... भारतीय ....
(य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी.............. जगह ....
(र) व्यवसाय.. वाहन चालक
(ल) पता... मण्डा भीम सिंह जिला जयपुर मोबाइल नम्बर 97994–48437

ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

7–1. श्री मोहन राम पुत्रश्री जेठाराम जाति जाट उम्र 48 साल निवासी ग्राम सुदरी पोस्ट बंवरला बाया रेण जिला नागौर हाल सहायक उपनिरीक्षक पुलिस थाना रूपनगढ जिला अजमेर मोबाइल नम्बर 94146–69557

2. श्री गिरधारी लाल पुत्रश्री पदमाराम जाति जाट निवासी ग्राम दरदुंड पुलिस थाना रूपनगढ जिला अजमेर हाल ढाबा संचालक दरदुंड चौराया रूपनगढ जिला अजमेर मोबाइल नम्बर 86193–01404

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.......

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा / यू.डी. केस सख्या
(अगर हो तो)... **2,00,000 रूपये रिश्वत राशि (दो लाख रूपये)**

10. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

प्रकरण हाजा के हालात इस प्रकार है कि दिनांक 1.7.2021 समय 10.30 पी.एम. पर मुझ उप अधीक्षक पारसमल को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एसीबी अजमेर ने जरिये मोबाइल फोन पर वार्ता कर अवगत कराया कि परिवादी श्री महेश थाकण ने जरिये दूरभाष मोबाइल नम्बर 9694091136 से वार्ता कर अवगत कराया है कि मेरे परिचित श्री दल्लाराम पुत्र श्री देवी लाल निवासी मण्डाभीम सिह जिला जयपुर के ट्रेलर से बजरी परिवहन रवाना शुदा सप्लाई करने का कार्य है। जिनके साथ अन्य गाडी वाले उनके मित्र भी साथ रहते है। दिनांक 17.05.2021 को श्री दल्लाराम अपने ट्रेलर सख्या आर.जे.–14–जीके–1169 के ड्राईवर श्री श्रवण लाल व अपने साथी अन्य ड्राईवर गाडी मालिक वाहन सख्या आर.जे.–14–जीके –4911 के चालक श्री मोहन लाल के अपने अपने वाहनो से दिनांक 16.05.2021 को सतलाना जोधपुर जिले से बजरी भरकर अभी रूपनगढ पहुचे है। जहां पर पुलिस थाना रूपनगढ के श्री मोहन लाल एएसआई एवं एक अन्य व्यक्ति सादा वस्त्रों में समय करीब 8 पी.एम. पर दरदुण्ड

चौराहे रूपनगढ स्थित ढाबे पर मिले तो उन दोनो ने मेरे परिचित की दोनो गाडियो को रोक कर चेक किया तो दोनो वाहनों के रवाना एवं बजरी परिवहन करने से संबंधित दस्तावेज एवं वाहन के रजिस्ट्रेशन, परमिट की प्रतिया को चेक करने हेतु श्री मोहन लाल को दिखायी गयी तो उन्होने श्री दल्लाराम व उसके साथी की गाडियो में अवैध बजरी भरी होना बता कर दोनो वाहनो के खिलाफ कार्यवाही करने एवं गाडी को जब्त करने की धमकी दी। श्री दल्लाराम व अन्य वाहन मालिक श्री मोहन लाल द्वारा निवेदन करने पर गाडियो को जब्त नही करने एवं उनको छोडने की एवज में 2 लाख रूपये रिश्वत की मांग कर रहे है तथा उनकी गाडियां पास ही परिचित होटल मालिक श्री गिरधारी लाल के ढाबे पर खडी करवा रखी है तथा 2 लाख रूपये की रिश्वत राशि लेने के लिए बार–बार मांग कर रहे है। उक्त समस्त वार्ता मेरे साथी दल्लाराम ने मेरे को दी, जिस पर मैने भी श्री मोहन लाल एएसआई एवं गिरधारी लाल ढाबा मालिक से बातचीत की, परन्तु वह रिश्वत लेने के लिए उतारू है। मेरे परिचत श्री दल्लाराम एवं मैं अपने जायज काम के बदले में रिश्वत राशि नही देना चाहते है, बल्कि आरोपी श्री मोहन लाल ए.एस.आई. पुलिस रूपनगढ जिला अजमेर को रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहते है। उक्त सूचना पर श्रीमान द्वारा मन उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी व उनके साथी गणों से सम्पर्क कर कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्रीमान द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर परिवादी श्री महेश थाकण के दिये गये मोबाइल नम्बर 96940–91136 पर मेरे मोबाइल नम्बर से वार्ता की गयी तथा अग्रीम कार्यवाही हेतु रूपनगढ ही उपस्थित मिलने के निर्देश प्रदान किये है। उक्त सूचना पर समय करीब 11:10 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस कार्यालय भ्र.नि.ब्यूरो स्पेशल यूनिट, अजमेर पहुँच मालखाने से सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड निकलवा कर इश्यू करवाया जाकर कार्यालय के कानिस्टेबल श्री श्याम प्रकाश न. 316 व सरकारी वाहन चालक श्री मनीष कुमार के कार्यालय से रूपनगढ की ओर रवाना होकर दिनांक 18.05.2021 को प्राप्त सूचना के आधार पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाप्ता के रूपनगढ–परबतसर मुख्य हाईवे पर पहुँचा। जहॉ परिवादी श्री महेश कुमार थाकण के मोबाइल नम्बर पर वार्ता की गयी तो परिवादी ने अपने साथियो सहित परबतसर रोड गुजरात होटल रूपनगढ के आस पास खडे होने की सूचना दी। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ मय सरकारी वाहन के श्री महेश थाकण के बताये हुए स्थान परबतसर रोड गुजरात होटल रूपनगढ मुख्य सडक पर पहुँचे। जहां पर वार्ता करता व्यक्ति एवं उसके साथ तीन अन्य व्यक्ति उपस्थित मिले। जिन्हें मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपना व हमराहियान स्टाफ का परिचय देकर उनसे उनका परिचय पूछा तो उन मे से वार्ता करता व्यक्ति ने अपना परिचय महेश थाकण के रूप में देते हुए अवगत कराया कि मैने ही आपके पुलिस अधीक्षक महोदय से रिश्वत राशि लेन देन के बारे में बातचीत की है, साथ ही अवगत कराया की मेरे परिचित श्री दल्लाराम व श्री मोहन लाल से उनकी बजरी के भरे हुए वैध वाहन को छोडने एवं उनके खिलाफ कार्यवाही नही करने की एवज में पुलिस थाना रूपनगढ के सहायक उप निरीक्षक श्री मोहन लाल 2 लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग रहे है एवं उन्होने धमकी देकर इनकी गाडिया भी श्री गिरधारी लाल की होटल पर खडी करवा रखी है तथा 2 लाख रूपये की रिश्वत राशि मांग रहे है। इस पर मुख्य सडक होने व सामने उनकी गाडिया खडी होने की वजह से दरियाफ्त नही की जा सकती अतः मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ व परिवादी को उनकी गाडी में बैठाकर परबतसर की ओर सुरक्षित स्थान की ओर रवाना हो समय 1:45 ए.एम. पर परबतसर रोड रूपनगढ मुख्य सडक के सुनसान स्थान पर पहुँचे जहां सुरक्षित व्यवस्था देखकर गाडियो को साईड में खडी करवा कर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से पूछताछ की, तो परिवादी श्री महेश थाकण ने अपना परिचय देते हुए अपने पास उपस्थित श्री दल्लाराम पुत्रश्री देवीलाल, श्री हरदयाल व अखराम का परिचय देते हुए अवगत कराया की श्री दल्लाराम मेरे परिचित है तथा हमारे सबकी गाडिया जोधपुर से बजरी भरकर जयपुर व अलवर की तरफ सप्लाई करती है। हम सभी गाडी मालिक आपस में एक स्थान से दूसरे स्थान पर बजरी भरने के धन्धे की वजह से आपस में एक दूसरे से अच्छी जान पहचान रखते है। हमारी गाडिया जोधपुर से बजरी भरकर अन्य शहर अलवर ले जाते रहते है तथा हम वैध बजरी का ही परिवहन करते है। आज मेरा परिचत श्री दल्लाराम व उसके साथी मोहन लाल अपने अपने वाहनों में जोधपुर से बजरी भरकर समय करीब 8:00 पी. एम. पर रूपनगढ पहुँचे। जहां पर पुलिस थाना रूपनगढ के श्री मोहन लाल चौधरी सहायक उप निरीक्षक व एक अन्य व्यक्ति सादा वस्त्रों में आकर उनकी गाडियो को रूपनगढ स्थित

मुख्य सडक पर रोक कर गाडी के बजरी परिवहन करने एवं गाडी के रजिस्ट्रेशन, परमिट से संबंधित दस्तावेजों की मांग की, तब इन्होने गाडी के कागजात व बजरी परिवहन करने से संबंधित वैध दस्तावेजों की प्रतिया उपलब्ध करवायी तथा वाहन ओवर लोडिग व बजरी को अवैध होना बताकर गाडियों को सीज करने की धमकी दी। जिस पर श्री दल्लाराम व मोहन लाल द्वारा अपनी गाडियों के समस्त दस्तावेज सही होना बताया, परन्तु श्री मोहन लाल चौधरी ए.एस.आई. पुलिस थाना रूपनगढ जिला अजमेर द्वारा गाडिया सीज करने की धमकी देते हुए, गाडियो को अपने परिचित श्री गिरधारी लाल के ढाबे पर खडी करवा दी तथा रिश्वत के रूप में 2 लाख रूपये की मांग कर गाडी छोडने व कार्यवाही नही करने हेतु कहा है तथा गाडिया अभी भी श्री गिरधारी लाल के ढाबे पर खडी है तथा मोहन लाल चौधरी स.उ.नि. ने बताया कि जब आपके पास 2 लाख रूपये की व्यवस्था हो जावे तो आप ढाबा मालिक श्री गिरधारी लाल से मेरी बात करवा देना तथा 2 लाख रूपये देकर अपनी गाडिया को ले जाना। गिरधारी लाल ढाबा संचालक श्री मोहन लाल स.उ.नि. के लिए दलाली का कार्य करता है तथा रिश्वत राशि भी श्री गिरधारी लाल को देने हेतु कहकर गया है। उपरोक्त तथ्यों की ताईद हेतु उपस्थित परिवादी श्री दल्लाराम पुत्र श्री देवी लाल उम्र 34 साल निवासी मण्डाभीम सिह जिला जयपुर मोबाइल नम्बर 9799448437 ने मन उप अधीक्षक पुलिस को एक लिखित प्रार्थना पत्र मन उप अधीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो इन्टेलीजेंस यूनिट अजमेर के पद नाम से सम्बोधित कर मेरे समक्ष प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा पढकर अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के बाबत परिवादी श्री दल्लाराम से पूछताछ की गयी तो परिवादी ने प्रार्थना पत्र पर अपने स्वयं के हस्ताक्षर होकर उपस्थित अपने साथी श्री हरदयाल से लिखवाया जाना बताया तथा अवगत कराया की मैं कम पढा लिखा हूँ तथा हस्ताक्षर करना जानता हूँ। परिवादी से प्रस्तुत प्रार्थना में अंकित तथ्यो के बारे में दरियाफ्त की गयी तो परिवादी श्री दल्लाराम ने अवगत कराया की मैं उपरोक्त प्रार्थना पत्र में अंकित पते का रहने वाला हूं तथा मेरे बड़े भाई श्री रामेश्वर लाल के नाम से एक वाहन सख्या आर.जे.–14–जीके–1169 ट्रेलर है जिस पर मैं भी ड्राईवरी करता हूँ तथा एक ड्राईवर अलग से संचालन के लिए श्री श्रवण लाल को रख रखा है। उक्त वाहन की मैं स्वयं देखभाल व संचालन करता हूँ। कल दिनांक 16.05.2021 को मेरे ट्रेलर वाहन सख्या आरजे–14–जीके–1169 व मेरे अन्य परिचित मेरे साथी श्री मोहन लाल के ट्रेलर वाहन सख्या आर.जे.–14–जीके–4911 में सतलाना जोधपुर से वैध बजरी जरिये रवाना कटवा कर अलवर के लिए जा रहे थे। आज दिनांक 17.05.2021 को समय करीब 8 पी.एम. पर हमारे वाहन साथ–साथ ही रूपनगढ से आगे निकले तो रूपनगढ थाने पर पदस्थापित सहायक उप निरीक्षक श्री मोहन लाल चौधरी व एक अन्य व्यक्ति सादा वस्त्रों में पुलिस थाना रूपनगढ की गाडी लेकर मुख्य हाईवे पर आकर हमारे दोनो वाहनों को रोक लिया तथा वाहनो को चेक कर वाहन के स्वामित्व, परमिट व बजरी परिवहन करने से संबंधित दस्तावेजों को मांगकर चेक किया एवं मुझे व मेरे वाहन चालको को धमकाने लगा तथा धमकी दी की मैं अभी तुम्हारे दोनो ट्रेलरों को जब्त करूगा तथा दोनो वाहनों को वापस मुडवा कर पुलिस थाना रूपनगढ की ओर ले जाने लगा। मैने श्री मोहन राम चौधरी एएसआई से काफी हाथाजोड़ी– विनती की एवं बताया कि साहब मेरी बजरी वैध रूप से भरी गई है तथा ओवरलोड भी नही है। मैने आपको रवाना से संबंधित व वजन की पर्चिया भी आपको दिखा दी है, परन्तु श्री मोहन लाल स.उ.नि. मेरी गाडियो को बिना वजह ही अवैध मान कर जबरदस्ती सीज करने की धमकी देने लगा, काफी हाथाजोड़ी के पश्चात श्री मोहन लाल चौधरी एएसआई ने मेरे से दोनो ट्रेलरो के खिलाफ सीज करने की कार्यवाही नही करने व वाहनो को छोडने की एवज में 2 लाख रूपये की रिश्वत राशि लेना तय कर मांग की है। मेरे दोनो ट्रेलर बजरी से भरे हुए अपने परिचित दलाल श्री गिरधारी लाल के ढाबे पर खडे करवा दिये है तथा कहा है कि जब आप 2 लाख रूपये लेकर आ जाओ तो मेरी गिरधारी लाल के मोबाइल पर बात करवा देना तथा रूपये गिरधारी लाल जी को दे देना मैं आपके दोनो वाहन छोड दूंगा यह कहकर वह रूपनगढ थाने की ओर रवाना हो गया। मैने श्री मोहन लाल चौधरी एएसआई के परिचित ढाबा संचालक दलाल श्री गिरधारी लाल से वार्ता की तो उसने मेरे को 2 लाख रूपये की व्यवस्था कर लाने हेतु कहा तथा मोहन लाल से बातचीत कर गाडी छोडने हेतु बताया। श्री मोहन लाल चौधरी एएसआई हमारे इन दोनो वाहनों को रिश्वत राशि लेकर ही छोडेगा, रिश्वत राशि नही देने पर दोनो वाहनो एवं हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने की धमकी देकर गया है। मैं मेरे जायज काम के बदले में श्री मोहन लाल एएसआई पुलिस थाना रूपनगढ जिला अजमेर को

रिश्वत राशि 2 लाख रूपये नही देना चाहता हूँ बल्कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवा कर गिरफ्तार करवाना चाहता हूँ। दरियाफ्त में परिवादी ने प्रार्थना पत्र अपने साथी श्री हरदयाल सिह की हस्त लेखनी में लिखा होना अवगत कराया तथा उस पर अपने स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। दरियाफ्त में उपस्थित परिवादी श्री दल्लाराम ने श्री मोहन एएसआई से किसी प्रकार की रंजिश अथवा द्वेषभावना एवं किसी प्रकार का उधार का लेनदेन भी बकाया नही होना अवगत कराया। प्रार्थना पत्र पर कानूनी कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया तथा अपने वाहन के स्वामित्व व बजरी परिवहन करने से संबंधित दस्तावेजो की प्रतियां उपलब्ध करवायी। उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर परिवादी द्वारा दोनो ट्रेलरों के रवाना होने से संबंधित दस्तावेज सही है तथा जोधपुर से बजरी भरकर अलवर जाना पाया गया। उपरोक्त दरियाफ्त से मामला संशोधित पी.सी. एक्ट 2018 के तहत कारित किये जाने से संबंधित है अतः परिवादी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है अतः अग्रीम रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही किये जाने बाबत परिवादी श्री दल्लाराम को कहा गया तो उसने बताया कि आरोपी श्री मोहन लाल एएसआई ने रिश्वत राशि 2 लाख रूपये की व्यवस्था होने पर उसके परिचित दलाल ढाबा संचालक श्री गिरधारी लाल को देने हेतु कही तथा गिरधारी लाल के मार्फत ही बात करने की कह कर गया है। मामला पी.सी.एक्ट के अपराध का होने से रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाये जाने हेतु मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय के श्री श्याम प्रकाश कानि. 316 को कार्यवाही के बारे में अवगत कराते हुए उपस्थित परिवादी एवं उसके साथियो से आपस में एक दूसरे का परिचय करवाया जाकर कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर में मैमोरी कार्ड को ऑपरेट करने एवं रिकार्डर को चालू व बन्द करने की समझाईश दी गयी। आरोपी व परिवादी के मध्य होने वाली वार्ता को दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये तथा 18.05.21 समय करीब 2:10 ए.एम. पर परिवादी व उसके साथी अखराम को अपने निजी वाहन से कार्यालय के श्री श्याम प्रकाश कानिस्टेबल के साथ रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाये जाने हेतु आरोपी के बताये गये ढाबा संचालक श्री गिरधारी लाल की होटल की ओर रवाना किया गया। मैं भी कार्यालय के सरकारी वाहन से उनके पीछे पीछे रवाना होकर रूपनगढ स्थित श्री गिरधारी लाल की होटल दरदुड चौराया पर गाडी को साईड में छुपाव हासिल करते हुए खडी कर देखने लगा। समय 3:45 ए.एम. पर कार्यालय के श्री श्याम प्रकाश कानि. न. 316 व परिवादी ने बाद वार्ता के अपनी गाडी में बैठकर कर दरदुड चौराया स्थित श्री गिरधारी लाल की होटल से रवाना होकर अजमेर रोड की ओर जाते हुए दिखायी दिये। जिनके पीछे पीछे मन उप अधीक्षक पुलिस भी रवाना हुआ, आगे सुरसुरा गांव के आस पास गाडियो को साईड में खडा कर कार्यालय के श्री श्याम प्रकाश कानि. मय परिवादी मन उप अधीक्षक पुलिस के पास आये तथा अवगत कराया कि आरोपी व उसके दलाल से रिश्वत राशि मांग सत्यापन के बाबत वार्ता हो चुकी है। जो कार्यालय के वाईस रिकार्डर में दर्ज है, श्री श्याम प्रकाश ने मूल वाईस रिकार्डर मन उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर अवगत कराया की मैने परिवादी को वाईस रिकार्डर चालू कर मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी श्री दल्लाराम को सुपुर्द कर श्री गिरधारी लाल से वार्ता करने हेतु उसके ढाबे पर रवाना कर दिया तथा मैं व उसका अन्य साथी परिवादी के निजी वाहन में बैठ कर की जाने वाली वार्ता को देखने लगे। बाद वार्ता के परिवादी ने वाईस रिकार्डर मुझे सुपुर्द किया, जिसे मैने बन्द कर आपको दे दिया। मौके पर उपस्थित परिवादी ने अवगत कराया की सर्वप्रथम मैं ढाबा संचालक श्री गिरधारी लाल के पास होटल पर पहुँचा उससे कहा की रूपये की व्यवस्था हो चुकी है आप मोहन लाल जी एएसआई को बुला लेवे इस पर श्री गिरधारी लाल ने मुझे कहा की आप स्वयं की उनसे बात कर लो। इस पर मैने श्री मोहन लाल एएसआई के मोबाइल नम्बर 9414669557 पर मेरे मोबाइल नम्बर 9799448437 से वार्ता की तो उसने बताया कि मेरे पास अभी सरकारी गाडी नही है तथा मैं अब नही आ सकता। आप मेरी श्री गिरधारी लाल जी से बात करवा दो तो मैने श्री मोहन लाल एएसआई को रूपये की कम व्यवस्था होने की बात कही तो उसने तत्काल ही मोबाइल काट दिया। उपरोक्त वार्ता को मेरे द्वारा मेरे मोबाइल का स्पीकर ऑन कर की है, जिसमें आरोपी व मेरी दोनो की वार्ता दर्ज हो रखी है। तत्पश्चात पास में मौजूद श्री गिरधारी लाल को मेरे द्वारा श्री मोहन लाल ए.एस.आई से हुई वार्ता के बारे में बताया ओर कहा की उन्होने आपसे वार्ता करने हेतु कहा है। इस पर श्री गिरधारी लाल ने अपने मोबाइल से आरोपी श्री मोहन लाल के मोबाइल नम्बर पर अपने मोबाइल का स्पीकर ऑन कर मेरे समक्ष ही वार्ता की तो वार्ता के अनुसार श्री मोहन लाल एएसआई ने मेरे से 2 लाख रूपये में से एक लाख रूपये की व्यवस्था होने की स्थिति में व्यवस्था के अनुसार मेरे से

एक लाख रूपये लेने के बाबत हां भरते हुए कहा की एक लाख रूपये देने के उपरान्त उसके ट्रेलर छोडने एवं एक लाख रूपये बाद में देने के बदले में स्वयं दल्लाराम एवं उसकी कार को खडी करने की हिदायत दी। वार्ता के अनुसार गिरधारी लाल ने मेरे से एक लाख रूपये मांगे तो मैने श्री गिरधारी लाल को 50 हजार रूपये नगद दिये तथा शेष 50 हजार रूपये सामने आने वाली गाडी में अपने भाई द्वारा लेकर आना बताया। जिस पर मैं 50 हजार रूपये हेतु ढाबे पर ही खडा रहा तथा मैने टेपरिकार्डर श्री श्याम प्रकाश जी को देकर बन्द करवा दिया। थोडी देर बाद ही मेरा भाई मुझे 50 हजार रूपये देकर गया तो मेरे द्वारा श्री श्याम प्रकाश जी से पुनः टेप रिकार्डर चालू करवा कर शेष 50 हजार रूपये देने हेतु गिरधारी लाल के पास गया तो रूपये गिरधारी लाल को सुपुर्द कर दिये। इस प्रकार तत्समय ही दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय गिरधारी लाल ने मेरे से एक लाख रूपये नगद प्राप्त कर ग्रहण किये है। श्री गिरधारी लाल द्वारा एक लाख रूपये प्राप्त करने एवं शेष एक लाख रूपये बाद मे देने की वार्ता श्री मोहन लाल एएसआई से पुनः की गयी, तो श्री मोहन लाल एएसआई पुलिस थाना रूपनगढ ने गिरधारी लाल को 2 लाख रूपये में से 01 लाख रूपये प्राप्त करने के उपरान्त उसकी दोनो ट्रेलर छोडने के निर्देश दिये एवं शेष एक लाख रूपये की व्यवस्था कर लाने हेतु कहा गया तथा शेष एक लाख रूपये लेकर आने तक बतौर जमानत के रूप में उसकी स्कार्पियो वाहन व मेरे को ढाबे पर ही खडे रहने के लिए गिरधारी लाल को निर्देशित किया। उक्त वार्ता मेरे द्वारा कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर में दर्ज कर ली तथा पारा ही मौजूद कार्यालय के श्री श्याम प्रकाश कानि. को वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर उपरोक्त तथ्यो के बारे में अवगत कराया। जिस पर श्री श्याम प्रकाश द्वारा डिजिटल वाईस रिकार्डर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया, परन्तु अब कह रहा है कि आप व आपकी गाडी शेष 01 लाख रूपये देने तक मेरे पास ही मौजूद रहे यह मेरे को श्री मोहन लाल जी एएसआई ने बताया है कि जब तक वह 01 लाख रूपये नही दे देवे तब तक आप उसकी निजी स्कार्पियो वाहन व उसको नही छोडे। इस पर मन कानिस्टेबल श्याम प्रकाश द्वारा आरोपी व परिवादी के मध्य हुई वार्ता के बाबत उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया जिस पर उन्होने निर्देश दिये की परिवादी श्री दल्लाराम को पुनः आरोपी व गिरधारी लाल से निवेदन कर शेष रिश्वत राशि की व्यवस्था करने हेतु कहे तथा बदले में गाडी खडी करने की प्रार्थना करे इस पर परिवादी को प्राप्त निर्देशो की पालना में पुनः वाईस रिकार्डर देकर गिरधारी लाल के पास रवाना किया गया। मैने गिरधारी लाल से प्रार्थना कर हाथाजोड़ी की कि मेरे को स्वयं रूपये की व्यवस्था कर लानी है। अतः आप मेरे को छोडो तथा मेरे निजी वाहन को आपके ढाबे पर ही खडा करलो, इस पर गिरधारी लाल ने मेरी हाथाजोडी स्वीकार कर मेरे दोनो ट्रेलरो को छोडते हुए मेरे निजी वाहन को उसके ढाबे पर खडा किया जाने हेतु कहा। इस पर मैने अपने वाहनो को अलवर के लिए रवाना कर दिया तथा गिरधारी लाल को रूपये की व्यवस्था कर आने हेतु कहा है। उपरोक्त वार्ता मेरे द्वारा आपके वाईस रिकार्डर में दर्ज की गयी है। दर्ज की गयी वार्ता का डिजिटल वाईस रिकार्डर श्याम प्रकाश जी को सुपुर्द कर दिया। इस पर परिवादी व कार्यालय के श्री श्याम प्रकाश द्वारा बतायी गयी वार्ता को डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर सुनी गयी तो उनके बताये गये कथनो की ताईद हुई है तथा आरोपी मोहन लाल एएसआई द्वारा परिवादी श्री दल्लाराम एवं उसके साथी की वैध बजरी की भरी हुई गाडियो को छोडने की एवज में 2 लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग करते हुए मौके पर ही अपने परिचित दलाल श्री गिरधारी लाल से वार्ता कर वार्ता के अनुसार एक लाख रूपये प्राप्त किये है तथा शेष रिश्वत राशि एक लाख रूपये परिवादी श्री दल्लाराम से मांग के अनुरूप प्राप्त किया जाना शेष है, जो वक्त रिश्वत राशि लेन देन के समय लिया जाना मांग सत्यापन से स्पष्ट है। चूकि आरोपी श्री मोहन लाल एएसआई द्वारा अपने दलाल के मार्फत 2 लाख रूपये की मांग कर एक लाख रूपये प्राप्त किया जाना पाया गया है तथा शेष रिश्वत राशि आज दिनांक को ही ली जानी तय किया है। रिश्वत राशि मांग सत्यापन को सुनी जाने पर आरोपी श्री मोहन लाल एएसआई पुलिस थाना रूपनगढ जिला अजमेर शातिर एव चालाक प्रवृति का मालूम होता है तथा वह स्वयं परिवादी से वार्ता नही कर अपने परिचित दलाल होटल संचालक श्री गिरधारी लाल के मार्फत रिश्वत राशि लेना चाहता है, वार्ता के अनुसार आरोपियो द्वारा परिवादी श्री दल्लाराम से उसके दोनो वाहनो को छोडने एवं कार्यवाही नही करने की एवज में 2 लाख रूपये की रिश्वत की मांग कर 01 लाख रूपये अपने परिचित दलाल होटल संचालक श्री गिरधारी लाल के मार्फत रिश्वत राशि प्राप्त की है तथा शेष एक लाख रूपये की रिश्वत राशि लेना शेष है चूकि रात्री का समय अधिक हो चुका है तथा परिवादी को रिश्वत

की एक लाख रूपये की व्यवस्था करने हेतु कहा गया तो उसने बताया की मेरे पास अभी एक लाख रूपये नही है मैं करीब 11 बजे बाद आपको व्यवस्था कर रूपये ले आऊगा। इस पर परिवादी व उसके साथी को आवश्यक हिदायत देकर प्रातः नियत समय पर उपस्थित आने के निर्देश देकर रूखस्त किया गया तथा परिवादी के साथ अन्य उपस्थित परिवादी गणो को आवश्यक हिदायत प्रदान कर गोपनीयता बनाये रखने के निर्देश देकर रवाना किया गया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ के समय करीब 4:00 ए.एम. पर रूपनगढ से रवाना अजमेर के लिए हुआ। समय करीब 5:15 ए.एम. पर हमराहियान स्टाफ के भ्र.नि.ब्यूरो स्पेशल यूनिट, अजमेर पहुँचा तथा प्रस्तुतशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड में दर्ज आवाज को चालू कर सुना गया तो रिश्वत राशि मांग सत्यापन की पूर्ण ताईद हुई, मूल मैमोरी कार्ड को मन उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखा गया दर्ज आवाज की आईन्दा फर्द ट्रास्क्रिप्ट अलग से तैयार की जावेगी। कार्यालय स्टाफ को आवश्यक हिदायत देकर कार्यवाही में शामिल होने हेतु पाबन्द किया गया, आगामी ट्रेप कार्यवाही परिवादी के उपस्थित आने पर अमल में लायी जावेगी। मन उप अधीक्षक पुलिस अन्य राजकार्य में व्यस्त हुआ। दिनांक 18.05.21 समय 11:00 ए.एम. पर कार्यालय में मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्टाफ उपस्थित है। दौराने कार्यवाही परिवादी श्री दल्लाराम भी रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कार्यालय में उपस्थित आ चुका है। अग्रीम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता है अतः कार्यालय से एक तहरीर जारी कर स्वतन्त्र गवाह लाने हेतु कार्यालय के श्री भरत सिह कानिस्टेबल को कार्यालय जिला परिषद, अजमेर को रवाना सरकारी वाहन से किया गया। इसके पश्चात कार्यालय के श्री भरत सिह कानिस्टेबल मय दो स्वतन्त्र गवाहान के कार्यालय में उपस्थित आये जिनसे मन उप अधीक्षक पुलिस ने उनका परिचय पूछा तो उन्होने अपना नाम मुकेश कुमार काकाणी सहायक विकास अधिकारी व श्री मुकेश माथुर कनिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर होना अवगत कराया। परिचय के दौरान ही परिवादी श्री दल्लाराम भी उपस्थित है। जिसे आवश्यक पूछताछ कर अग्रीम कार्यवाही करने हेतु कहा गया। परिवादी से आरोपी के मोबाइल नम्बर पर वार्ता करवानी चाही तो आरोपी का मोबाइल कवरेज क्षेत्र से बाहर होना बताया। इस पर अग्रीम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान का आपस में एक दूसरे से परिचय करवाया गया। उपस्थित स्वतन्त्र गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एव माग सत्यापन के समय दर्ज की गयी वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड निकाल कर की जाने वाली कार्यवाही के बारे में अवगत कराया। दौराने अग्रीम ट्रेप कार्यवाही परिवादी श्री दल्लाराम के मोबाइल पर आरोपी श्री गिरधारी लाल के मोबाइल नम्बर 8619301404 से फोन आया तथा उसने रिश्वत राशि लाने हेतु बातचीत की आप रूपये लेकर कब तक आ जाओगे तो परिवादी ने बताया की मेरे पास रूपये की व्यवस्था हो चुकी है तथा मैं जल्दी ही आ रहा हूं अभी बरसात आ रही है मैं बरसात रूकते ही आ जाऊगा। परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ता को कार्यालय के वाईस रिकार्डर में दर्ज की गयी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट वार्ता अलग से तैयार की जायेगी। अग्रीम कार्यवाही हेतु परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढकर सुनाया गया, गवाहान द्वारा प्रार्थना पत्र सुन पढकर अंकित तथ्यों के बारे में परिवादी से पूछताछ की गयी तो गवाहान ने अपनी सन्तुष्टि जाहिर की एवं एसओ व परिवादी के मध्य दिनांक 18.05.2021 को वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय दर्ज आवाज को सुनाया गया तो उन्होने उक्त कार्यवाही में सम्मलित होने की अपनी स्वेच्छा से सहमति प्रदान करते हुए, कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाहान रहने की हॉ भरी। तत्पश्चात कार्यालय के श्री अर्जुन लाल कानिस्टेबल से वाईस रिकार्डर में मूल मैमोरी कार्ड को डालकर ऑपरेट कर परिवादी की उपस्थिति में शब्द व शब्द कार्यालय के कम्पूयटर की सहायता से फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 18.05.2021 अलग से तैयार की गयी, जिस पर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मूल मैमोरी कार्ड से कार्यालय के कम्पयूटर की सहायता से 3 सीडिया तैयार की गयी, जिसमें मूल मैमोरी कार्ड को कपड़े की थैली में रखकर न्यायालय हेतु तथा दो सीडियो को पृथक पृथक कपड़े की थैलियो में सिल्ड कर आरोपियो हेतु तैयार की गयी एवं अन्य शेष तीसरी सीडी कागज के लिफाफे में डालकर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखी गयी तथा कपड़े की थैलियो को सिल्डचीट कर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गयी। चूंकि रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के अनुसार एस.ओ. श्री मोहन राम चौधरी सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना रूपनगढ जिला अजमेर द्वारा अपने परिचित दलाल होटल संचालक श्री गिरधारी लाल के मार्फत रिश्वत राशि 2 लाख रूपये की मांग कर एक लाख रूपये मौके पर ही दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन

के समय गिरधारी लाल द्वारा प्राप्त किये है तथा शेष एक लाख रूपये की रिश्वत राशि लिया जाना आज ही तय किया है। समय करीब 2:15 पी.एम. पर गवाहान की उपस्थिति में अग्रीम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु गवाहान के समक्ष मन् पारसमल उप अधीक्षक पुलिस के द्वारा रिश्वत मे दी जाने वाली राशि परिवादी श्री दल्लाराम पुत्र श्री देवीलाल जाति जाट उम्र 34 वर्ष निवासी मंडाभीमसिंह जिला जयपुर को पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 2000–2000 रूपये के कुल 50 नोट प्रचलित भारतीय मुद्रा के प्रस्तुत किए। प्रस्तुतशुदा नोटों के नम्बर निम्नानुसार है :–

1	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	0DC	681303
2	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	1BB	797735
3	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	6KA	652892
4	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	7BG	340824
5	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	3EV	203124
6	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	3AR	865099
7	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	5MQ	240868
8	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	6GR	613975
9	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	3CA	693207
10	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	0CB	810759
11	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	7BD	875211
12	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	8DW	720344
13	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	0AP	331430
14	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	9GK	961271
15	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	1AA	689506
16	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	9CR	978286
17	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	6DA	084170
18	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	2KB	357032
19	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	3CW	009372
20	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	6MF	448720
21	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	6AS	436667
22	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	6KE	668850
23	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	4HN	407825
24	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	4EW	381645
25	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	9MV	512970
26	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	5HR	517175
27	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	2LH	415327
28	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	3FM	270731
29	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	4CB	603312
30	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	0EQ	395323
31	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	4DP	046754
32	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	3AT	821391
33	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	0DW	697280
34	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	9MK	214203
35	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	5CP	065377
36	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	9CD	813099
37	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	0CF	895553
38	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	6HF	736497
39	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	8BU	606674
40	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	1LP	147124
41	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	7CC	021778
42	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	0GA	569913
43	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	4CR	884130
44	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	2AN	866390
45	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	4BC	854384
46	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	0BB	461039
47	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	5AS	207566

48	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	3DR	538435
49	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	5KE	459097
50	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	8LC	953045

उपरोक्त समस्त 100000/– रूपये (एक लाख रूपये) की रिश्वत राशि नोटों के दोनों ओर श्री गोविन्द वर्मा हेडकानि0 59 भ्रनिब्यूरो, स्पे. यूनिट अजमेर से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। रिश्वत राशि परिवादी श्री दल्लाराम को सुपुर्द करने से पूर्व उनके शरीर पर पहने हुये कपड़ो की तलाशी गवाह श्री मुकेश कुमार काकाणी से लिवाई गयी तो कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पायी गयी। परिवादी श्री दल्लाराम को रिश्वत राशि आरोपी मोहनलाल सहायक उपनिरीक्षक एवं उसके परिचित दलाल श्री गिरधारीलाल ढाबा संचालकको दिये जाने हेतु रिश्वत राशि 100000/ रूपये परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की आगे दाहिनी जेब में रखवाये गए। इसके बाद प्रकियानुसार एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे उपस्थित गवाहान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त कॉच के गिलास के घोल में श्री गोविन्द वर्मा हेडकानि0 की एक हाथ की अंगुलियों व अगूठें को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार दृष्टान्त देकर परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान को फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की उपयोगिता एवं उसके महत्व से अवगत कराते हुए बताया कि यदि श्री दल्लाराम से आरोपी श्री मोहनलाल एएसआई एवं दलाल गिरधारीलाल रिश्वती राशि प्राप्त कर लेता है, तो इसी प्रकार की रसायनिक प्रकिया अपनाई जायेगी। इसके बाद उक्त गुलाबी घोल को श्री गोविन्द वर्मा हेडकानि. से कार्यालय से बाहर फिकवाया गया तथा जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया उस अखबार को जलवाया गया। कांच के गिलास को व श्री गोविन्द वर्मा हेडकानि. के हाथों को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी दल्लाराम को हिदायत दी गई कि वह श्री मोहनलाल एएसआई एवं दलाल गिरधारीलाल के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उनसे हाथ नहीं मिलावे तथा अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे एवं रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे तथा रिश्वती राशि देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेर कर अथवा अपने मोबाइल से मन उप अधीक्षक पुलिस को कॉल करके ईशारा करे, ताकि ट्रेप पार्टी समझ जावें कि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण कर ली गयी है। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु परिवादी श्री दल्लाराम को कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के ऑपरेट करने की समझाईश कर सुपुर्द किया गया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस, मय हमराहियान स्टाफ सर्व श्री राजेन्द्र सिह पुलिस निरीक्षक, श्री यतिन्द्र कुमार पुलिस निरीक्षक, श्री कन्हैयालाल स.उ.नि., श्री लक्ष्मण दान हैड कानि., श्री भरत सिह कानि.18, श्री अर्जुनलाल कानि. व स्वतन्त्र गवाह मुकेश कुमार काकाणी व श्री मुकेश माथुर मय सरकारी वाहन चालक श्री मनीष कुमार के एवं प्राईवेट वाहन के मय ट्रेप बाक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड, लेबटाप व प्रिन्टर के तथा परिवादी श्री दल्ला राम को स्वयं के निजी वाहन से कार्यालय के श्री श्याम प्रकाश कानि न. 316 को मय डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के बाद आवश्यक हिदायत के रूपनगढ की ओर रवाना हुए तथा श्री गोविन्द वर्मा हैड कानिस्टेबल को कार्यालय की निगरानी हेतु उपस्थित रहने के निर्देश प्रदान किये। समय करीब 4:45 पीएम पर रवानाशुदा मन उप उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ गवाहान के रूपनगढ स्थित मुख्य सडक पनेर चौराये पर पहुँचे। जहां पूर्व से तलबशुदा परिवादी अन्य साथी अखराम उपस्थित मिला जिसे परिवादी के साथ जाकर अग्रीम कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये। पनेर की ओर जाने वाले रास्ते पर गाडियो को सुरक्षित स्थान पर खडी करवाकर परिवादी को टेप रिकार्डर चालू कर कार्यालय के श्री श्याम प्रकाश व स्वतन्त्र गवाह श्री मुकेश कुमार काकाणी तथा परिवादी के साथी श्री अखराम व परिवादी को अपने निजी वाहन में बैठाकर रिश्वत राशि देने हेतु आरोपी श्री गिरधारी लाल के ढाबे की ओर रवाना किया गया तथा परिवादी को निर्देश दिये गये की आरोपी श्री मोहन लाल एएसआई को होटल पर बुलाकर एवं गिरधारी लाल से मोबाइल पर वार्ता करवा ही आरोपी मोहन लाल एएसआई को ही रिश्वत राशि दी जानी है, गिरधारी लाल के मांगने पर उसे रिश्वत राशि नही देवे। समय करीब 5:15 पी.एम. पर रिश्वत

राशि लेन देन के बारे में आवश्यक हिदायत प्रदान कर परिवादी, अखराम, श्री श्यामप्रकाश व स्वतन्त्र गवाह श्री मुकेश काकाणी को बाद आवश्यक हिदायत देकर परिवादी के निजी वाहन से होटल की ओर रवाना किया गया तथा उनके पीछे पीछे मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाह मुकेश माथुर के प्राईवेट वाहन तथा श्री राजेन्द्र सिह पुलिस निरीक्षक, श्री कन्हैयालाल, श्री भरत सिह को अन्य प्राईवेट वाहन तथा श्री यतीन्द्र कुमार पुलिस निरीक्षक, श्री लक्ष्मणदान हैड कानिस्टेबल, श्री अर्जुन लाल कानि. को कार्यालय के सरकारी वाहन चालक मनीष कुमार के परबतसर रोड की ओर ढाबे के आस पास खडे होकर परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में खडे होकर निगरानी करने के निर्देश प्रदान कर अलग अलग वाहनो के रवाना किया गया। समय करीब 5:40 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में होटल के आसपास दरदुंड चौराये पर ही खडे रहे, थोडे समय पश्चात परिवादी अपने वाहन को लेकर अजमेर रोड की ओर बिना इशारे किये ही रवाना होता नजर आया, जिसके पीछे पीछे मन उप अधीक्षक पुलिस हमराहियान स्टाफ एवं अन्य स्टाफ गण को जरिये दूरभाष वार्ता कर पीछे पीछे आने हेतु निर्देश प्रदान किये। परिवादी ने अपने निजी वाहन को सुरसुरा की ओर ले जाकर मन उप अधीक्षक पुलिस को जरिये दूरभाष अवगत कराया । परिवादी द्वारा बताये गये स्थान पर मन उप अधीक्षक पुलिस पहुॅचा जहां कार्यालय के श्री श्याम प्रकाश कानि. 316 व परिवादी ने मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया की मैने गिरधारीलाल से जाकर मोहनलाल से वार्ता करने हेतु कहा तो उसने मुझे अपने मोबाइल से वार्ता करने के लिए कहा तो मेरे द्वारा मोहन लाल एएसआई के मोबाइल पर वार्ता करनी चाही तो उसने मेरे मोबाइल रिसिव नही किया तत्पश्चात मैने गिरधारी लाल को उसके मोबाइल से वार्ता करने के लिए बताया तो गिरधारी लाल ने श्री मोहन लाल एएसआई के मोबाइल पर अपने मोबाइल से वार्ता की तो मोहनलाल ने बताया की हल्के में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय वास्ते कोविड निरीक्षण हेतु पधारे हुए है मैं कार्यक्रम में उनके साथ ड्यूटी पर आया हुआ हूॅ मैं अभी नही आ सकता एवं रिश्वत राशि लेन देन के बारे में बात करनी चाही तो उसने ऐसी बात नही करने के लिए कहा तथा अपने आने का कोई समय नही बताया, मैने इस बाबत गिरधारी लाल से बात की तो उसने कहा की आप मेरे को देकर चले जाओ मैं उनके पास पहुॅचा दूंगा। मैने गिरधारी लाल को मना कर दिया तथा श्री मोहन लाल एएसआई के आने के उपरान्त ही उनके समक्ष ही रिश्वत राशि एक लाख रूपये देने के लिए कह कर आ गया, तो वार्ता अनुसार उसने मोहन लाल के आने पर मोबाइल से सूचित करने के लिए कहा है। इस पर परिवादी द्वारा बतायी गयी वार्ता अनुसार आरोपी का इन्तजार करना आवश्यक है, रिश्वत राशि का लेन देन श्री मोहन लाल एएसआई से करवाया जाना उचित प्रतित होता है, उसका दलाल गिरधारी रिश्वत राशि लेने के लिए तैयार है, परन्तु मोहन लाल की उपस्थिति में रिश्वत राशि दी जानी है अतः परिवादी व उपस्थित स्टाफ को कोविड–19 की पालना व कर्फ्यू की स्थिति को देखते हुए रूपनगढ के आस पास ही उपस्थिति रखने के निर्देश प्रदान किये तथा परिवादी को एसओ के बारे में जानकारी करने हेतु कस्बे में सुरक्षित स्थान पर खडे रहकर आने पर अविलम्ब सूचित करने हेतु निर्देश दिये जाकर रवाना किया गया तथा कस्बे में रहकर एसओ की उपस्थिति के बारे में इन्तजार करने लगे। समय करीब 7:45 पी.एम. पर परिवादी मय कार्यालय कानिस्टेबल श्याम प्रकाश व स्वतनत्र गवाहान श्री मुकेश काकाणी एवं सहपरिवादी श्री अखराम के वाहन लेकर मन उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरसरा स्थित मुख्य हाईवे पर पहुॅचे। जहां परिवादी श्री दल्लाराम ने अवगत कराया की आरोपी श्री मोहन लाल एएसआई अभी तक भी थाने पर व गिरधारी लाल की होटल पर नही आया है तथा गिरधारी लाल व मेरा मोबाइल भी रिसिव नही कर रहा है सम्भवत वह ड्यूटी में व्यस्त है। दौराने इन्तजार मेरे पास गिरधारी लाल का कई मर्तबा मोबाइल से वार्ता हुई है, वार्ता अनुसार वह मेरे को रिश्वत राशि लेकर अपनी होटल पर ही बुला रहा है, परन्तु मैने उसको बार बार मोहनलाल के उपस्थित आने पर ही रिश्वत देने की वार्ता की है। वार्ता के अनुसार गिरधारीलाल रिश्वत लेने के लिए तैयार है। आरोपी व परिवादी के मध्य हुई वार्ता के अनुसार आज रिश्वत राशि लेन देन नही हो सका है अतः आईन्दा रिश्वत राशि लेन देन की कार्यवाही की जावेगी, मौके पर ट्रेप कार्यवाही से संबंधित हालात उच्चाधिकारियो को अवगत कराये गये प्राप्त निर्देशानुसार परिवादी से रिश्वत राशि निकलवा कर सुरक्षित एक कागज के लिफाफे में रखवायी जाकर मन उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखी गयी तथा परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर, आरोपी गण से सम्पर्क होने पर सुचित करने के निर्देश देकर बाद हिदायत रूखस्त किया गया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ गवाहान के सुरसरा से कार्यालय के लिए रवाना हुआ। रवानाशुदा मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ, गवाहान, रिश्वत राशि लिफाफा डिजिटल वाईस मय मैमोरी कार्ड के कार्यालय एसीबी

स्पेशल यूनिट, अजमेर पहुँचा। रिश्वत राशि लिफाफा व मैमोरी कार्ड को सुरक्षित मन उप अधीक्षक पुलिस के कार्यालय में रखा जाकर स्वतन्त्र गवाहान व स्टाफ को आवश्यक हिदायत देकर अपनी उपस्थिति आसपास ही मौजूद रखने के निर्देश देकर रूखस्त किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस अन्य राजकार्य में व्यस्थ हुआ। दिनांक 30.12.21 को समय करीब 2:05 पी.एम. पर परिवादी श्री दल्लाराम कार्यालय उपस्थित आया तथा अवगत कराया कि मैने आरोपी श्री मोहनलाल से कई मर्तबा अपने मोबाइल फोन से वार्ता करनी चाही परन्तु उसने मेरा मोबाइल फोन कभी भी रिसिव नही किया। इस बावत गिरधारी लाल से भी वार्ता की तो उसने बताया कि काफी समय से मोहनलाल जी एएसआई साहब मेरी होटल की तरफ भी नही आ रहे हैं एवं ना ही मेरी उनसे कोई वार्ता हुई है। आप आ जाओ चलकर वार्ता कर लेगें। मैने आजकल बजरी का धंधा खत्म हो जाने की वजह से माह जून 2021 से ही बंद कर दिया है, तथा मेरे ट्रेलर माह जून 2021 से ही असम एवं राजस्थान से बाहर कोयला लाने व ले जाने में लगा रखी है। मै करीब 5–6 महीने से ही राजस्थान से बाहर ही ट्रेलर चला रहा हूँ। मेरी उक्त अवधि में मोहनलाल एएसआई व गिरधारीलाल से कोई वार्ता नही हुई है, उक्त अवधि के दौरान मेरे पास एक अजान व्याक्ति दवारा मोबाइल से वार्ता कर मेरे से पूछा कि आपने मोहनलाल एएसआई थाना रूपनगढ के विरूद्ध कोई शिकायत की है क्या के बारे में जानकारी लेनी चाही तो मैने उसको मना कर दिया नाम पता पूछने पर उसने इंकार कर दिया तथा मेरी उक्त बातचीत के बाद गिरधारीलाल से ही कोई वार्ता नही हुई है। तथा मै अपने कार्य से करीब 5–6 माह से राजस्थान से बाहर ही रह रहा हूँ। आज आपके पास उपस्थित आया हूँ। कि मोहनलाल को शायद ट्रेप कार्यवाही का अदेशा हो चुका है। अतः वह मेरे से मिलना व बातचीत नही करना चाहता है। उपरोक्त परिस्थितियों को मध्यनजर रखते मन ट्रेपकर्ता अधिकारी दवारा अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी श्री दल्लाराम के मोबाइल से आरोपी श्री मोहनलाल एएसआई व दलाल गिरधारी लाल के मोबाइल नम्बरों पर वार्ता करवानी चाही तो फोन रिसिव नही किया। परिवादी दवारा बताये गये उपरोक्त तथ्यों के आधार जो तथ्य अवगत कराये है, वह सही है कि आरोपीगण को अपने विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही का अंदेशा है। जिस वजह से वह परिवादी का मोबाइल रिसिव नही कर रहे है। चुंकि अब रिश्वत राशि लेन–देन की प्रकिया अंदेशा होने की वजह से नही हो सकती है। अतः आरोपीगण के विरूद्ध अब ट्रेप कार्यवाही की जाना संभव नही है। इस पर परिवादी ने मन उप अधीक्षक पुलिस को रिश्वत राशि में दिये गये नोटों को देने हेतु कहा जिस पर उच्चाधिकारियों से आवश्यक विचार विमर्श कर ट्रेप कार्यवाही नही होने की स्थिति में परिवादी से प्रार्थना पत्र रिश्वत लौटाने से संबंधित लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। ट्रेप कार्यवाही उक्त रिश्वत राशि के नोट जिन पर फिनोफ्लीन पाउडर लगाया हुआ होने से उक्त समस्त नोटों को बाजार से बदलवा कर सुपुर्द किये गये तथा परिवादी श्री दल्लाराम से प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई, संबंधित प्रार्थना पत्र व प्राप्ति रसीद शामिल कार्यवाही की गई। आरोपी के विरूद्ध नियमानुसार रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की अग्रिम कार्यवाही की जाकर रिपोर्ट श्रीमान को शीघ्र ही उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगी। परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर रूखसत किया गया।

उपरोक्त कार्यवाही से तथ्यो एवं परिस्थितियों के आधार पर आरोपी श्री मोहन राम पुत्रश्री जेठाराम जाति जाट उम्र 48 साल निवासी ग्राम सुदरी पोस्ट बंवरला बाया रेण जिला नागौर हाल सहायक उपनिरीक्षक पुलिस थाना रूपनगढ जिला अजमेर द्वारा अपने पद एवं कर्तव्य का दुरूपयोग कर आरोपी दलाल श्री गिरधारी लाल ढाबा संचालक के माध्यम से परिवादी श्री दल्लाराम से उसके बजरी के भरे हुए ट्रेलर को रोक कर उसके वैध कार्य अवैध बताकर बजरी से भरे हुए वाहनों को छोडने एवं उनके खिलाफ कार्यवाही नही करने की एवज में 2 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांगकर, मांग के अनुसरण में दिनांक 18.05.2021 को अपने दलाल श्री गिरधारी लाल लाल ढाबा संचालक दरदुड चौराया रूपनगढ के माध्यम से एक लाख रूपये ग्रहण किये है जो रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 18.05.21 से स्पष्ट है। आरोपी मोहनराम एएसआई पुलिस थाना रूपनगढ ने अपने दलाल गिरधारी लाल के मोबाइल फोन पर वार्ता कर दलाल को एक लाख रूपये रिश्वत राशि अपने पास रखकर वाहनों को छोडने के निर्देश दिये जो रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 18.05.21 से स्पष्ट प्रमाणित है। अतः आरोपी श्री मोहन राम सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना रूपनगढ जिला अजमेर एवं उसके परिचित आरोपी दलाल श्री गिरधारी लाल ढाबा संचालक द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादी के वैध कार्यो को अवैध होना बताकर उनके बजरी के भरे हुए ट्रेलर को छोडने एवं कार्यवाही नही करने की एवज में 2 लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग करते हुए 01 लाख रूपये मौके पर ही दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय अपने परिचित दलाल श्री गिरधारी लाल के मार्फत प्राप्त किया जाना पाया गया है। जो आरोपीगण

का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7,7A भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व सहपठित धारा 120 बी भा.द.स. का अपराध कारित किया जाना पाया जाता है। अतः आरोपी श्री मोहन राम पुत्रश्री जेठाराम जाति जाट उम्र 48 साल निवासी ग्राम सुदरी पोस्ट बंवरला बाया रेण जिला नागौर हाल सहायक उपनिरीक्षक पुलिस थाना रूपनगढ जिला अजमेर व श्री गिरधारी लाल पुत्रश्री पदमाराम जाति जाट निवासी ग्राम दरदुंड पुलिस थाना रूपनगढ जिला अजमेर (दलाल) ढाबा संचालक दरदुंड चौराया रूपनगढ के विरूद्ध उपरोक्त धाराओ में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्तें कमांकन एवं दर्ज किये जाने हेतु श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

भवदीय,

(पारसमल)
उप पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
इन्टे. यूनिट, अजमेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पारसमल, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, अजमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1.श्री मोहन राम, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना रूपनगढ, जिला अजमेर 2.श्री गिरधारी लाल पुत्र श्री पदमाराम निवासी ग्राम दरदुंड चौराया रूपनगढ जिला अजमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 38/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

9.2.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः 361-65 दिनांक 9.2.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला अजमेर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. अजमेर।

9.2.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।